



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 895/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 25.04.2021

**विषय :-**कोरोना वायरस (Covid-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,  
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,  
समस्त अधिशासी अभियन्ता  
पिटकुल.....।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 323/xxxi(15)G/2020-04(सा०)/2021 दिनांक 22.04.2021 के क्रम में शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 324/xxxi(15)G/2020-04(सा०)/2021 दिनांक 24.04.2021 के द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों में विस्तार करते हुये दिनांक 26, 27 एवं 28 अप्रैल-2021 (सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पिटकुल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (विद्युत उपसंस्थान एवं लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण एवं प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र से जुड़े कार्मिकों को छोड़ते हुये) कारपोरेशन कार्यों का निष्पादन अपने आवास से कर सकते हैं। ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे तथा अपने मोबाईल स्विच ऑन रखेंगे एवं किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के साथ-साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखना हमारा प्रथम दायित्व है, जिसका प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा।

सलग्नक:-यथोपरि।

(ए०के० जुयाल)  
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सहायक/डी०ई०ओ०-निदेशक (परिचालन)/परियोजना/मा०सं०/वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

सलग्नक:-यथोपरि।

(ए०के० जुयाल)  
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक ५ अप्रैल, 2021

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या-323/ xxxi(15)G/2020-04(सा0) / 2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के द्वारा शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त कार्यालयों को दिनांक 23, 24 एवं 25 अप्रैल, 2021 तीन दिन शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को बंद रखे जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासन द्वारा सन्यक्त विचारोपरान्त उक्त आदेशों में विस्तार करते हुए दिनांक 26, 27 एवं 28 अप्रैल, 2021 (सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय बंद रखे जायेंगे। समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने मोबाईल स्विच आन रखेंगे एवं किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव

संख्या- / xxxi(15)G/2020-04(सा0) / 2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा० मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।